



समाहरणालय दुमका
(कल्याण शाखा)

(Email- dwo-dumka@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक.....65...../जि0क0

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
दुमका।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
सरैयाहाट।

दुमका, दिनांक 11-01-2024

विषय:- अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।


प्रसंग :- अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक 03/अनु0सा0, दिनांक 02.01.2024
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0बी0 द्विपथ हँसडीहा-जसीडीह संचरण लाईन निर्माण में वन विभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि गैरमजरूवा एवं जंगल-झाड़ी भूमि का FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने निमित्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुल छः ग्रामों के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि/जंगल झाड़ी का कुल रकवा, ट्रेस नक्शा, ग्राम वन अधिकार समिति की कार्यवाही की छायाप्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय से प्राप्त है, परन्तु उक्त के साथ ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि सारी प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने के पश्चात् सभी संबंधित कागजात के साथ मूल में सीधे अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


जिला कल्याण पदाधिकारी,
दुमका।



कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका(झारखण्ड)

(ISO 9001:2015 Certified)

पत्रांक.....०३...../अनु०सा०

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
दुमका।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
दुमका।

दुमका, दिनांक.....०२.०१.२५

विषय :- झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के०बी० द्विपथ हँसडीहा-जसीडीह संचरण लाईन निर्माण में वन विभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले वनभूमि गैरमजरूवा एवं जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपायुक्त दुमका का पत्रांक 5031/गो०, दिनांक 17.12.2022 के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, सरैयाहाट को प्रतिलिपि दी गई। उक्त निदेशक के आलोक में अंचल अधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक 820/रा०, दिनांक 26.10.2023 द्वारा द्विपथ हँसडीहा जसीडीह संचरण लाईन में पड़ने वाले वनभूमि/गैरमजरूवा जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुल छः ग्रामों के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि/जंगल झाड़ी का कुल रकवा, ट्रेस नक्शा, ग्राम वन अधिकार समिति की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न कर प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के पत्रांक 40(मु०) दिनांक 14.11.2023 द्वारा सभी कागजातों को वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका का पत्रांक 3834 दिनांक 23.12.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त परियोजना अन्तर्गत वर्णित किसम भूमि विवरणी अनुसार Deemed Farst का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं FRA के Settlement of Right हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया है।

अतः सभी कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनुलग्नक :- मूल प्रति-(अमिले(१))

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,

दुमका।
30/12/23

30/12/23

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : ठाकुरदास ठाकुरा संचयन निगम लिमिटेड
- क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
- ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : बिरना
3. ग्राम पंचायत : परकापानगर
4. प्रखंड/अंचल : सरैयाबाट
5. जिला : बुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलारण्य) नहीं
यदि कोई हो :
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (री) का/के नाम : आर्यवड इला संचरण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : विरना
3. ग्राम पंचायत : चरकापाशर
4. प्रखंड/अंचल : शरियाहाल
5. जिला : दुमरा

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

- (ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, *नहीं*
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)
4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : *नहीं*
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : *नहीं*
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : *नहीं*
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना : *आर.एन.डी. बुर्जा संचरण त्रिगम लिमिटेड द्वारा 132 करोड़ की क्षिप्य हंसडीए - जलीडीए संचरण लाईन निर्माण*

आर.एन.डी. बुर्जा

दावेदार (रों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

कामदेव लाल कुमारी पवार
(अधिकारी)
वन अधिकारी कार्यालय

[Signature]
4/10/2018

19-3-18

[Signature]
अचल अधिकारी
सरियाहाट, बुमका

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : सारखंड वनी संचरण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : बिरना
3. ग्राम पंचायत : चरकापाथर
4. प्रखंड/अंचल : सरैयाठार
5. जिला : दुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

- (ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, **जहाँ**
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)
4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : **जहाँ**
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : **जहाँ**
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : **जहाँ**
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना : **सारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 कै.वी. द्विपथ ईस्टीमेट-असीडीए संचरण लाईन निर्माण**

अनुशक्ति

कामदेव ठाकुर कुमारी पास
(अध्यक्ष)
का अधिकार सफाई

17/3/17

17/3/17

अचल अधिकारी
सुरवाहाट, दुमका

दावेदार (सों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान


मौजा - विरना नर - 29

सठ सर्किल - सरैयाहाट

अंचल - सरैयाहाट

जिला - तुमका

स्कूल 94' = 9 मील



| विरना मौजा | थाना नर | खारा नर | दाग नर | कुल रकबा छठ - डि | प्रस्तावित रकबा | किस्म जमीन |
|------------|---------|---------|--------|---------------------|-----------------|------------|
| विरना | 29 | 7 | 64 | 02-90 | 0.9220 (है०) | भाडी जंगल |

महाराष्ट्र,

फारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 932 के० भी डिपच हंडलिंग-
जयश्री संचयन खाते निर्माण हेतु भूमि को लागू रेखा द्वारा इस्तीफा करा है


(Signature)
2017

(Signature)
सठ ड० मि०

(Signature)
प्र० अं० मि०

(Signature)
अंचल अधिकारी

योजना - विरना नर - 29
 सठ सर्किल - सरैयाहाट
 अंचल - सरैयाहाट
 जिला - दुमका
 स्केल 1 इंच = 9 मील



| विरना योजना | थाना नर | खारा नर | दाग नर | कुल रकबा रु- डि | प्रस्तावित रकबा | किस्म जमीन |
|-------------|---------|---------|--------|--------------------|-----------------|------------|
| विरना | 29 | 2 | 65 | 03-90 | 0.9220 (है०) | भाड़ी मंगल |

महाराज,

भारतखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 932 के०मी० डिप्लेक्स हंसडीहा
 जलविद्युत संचरण लाइन निर्माण हेतु भूमि को खाल रखा द्वारा 3 अक्षांश गंगा है

उपरोक्त
 (हस्ताक्षर)




राज ठा. सि०



प्र० अ० सि०


 अंचल अधिकारी
 सरैयाहाट

योजना - विरना नर - 29
 सठ सर्किल - सरैयाहाट
 अंचल - सरैयाहाट
 जिला - दुमका
 स्केल १ ई' = १ मील



| विरना योजना | थाना नर | खारा नर | दाग नर | कुल रकवा ए०-डि | प्रस्तावित रकवा | किस्म जमीन |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------|-----------------|-------------|
| विरना | 29 | 2 | 62 | 02-90 | 0.9220 (ई०) | अच्छी गेठाल |

महाराष्ट्र,

भारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 932 हे०मी० डिपच हंडीटा
 जखीडीह संचरण लाईन निर्माण हेतु भूमि को लाल रेशवा द्वारा दर्शाया गया है

कुलपिता
 कर्म

[Signature]

बाठ उठ मि

[Red mark]

पूठ अठ मि

[Green mark]

अंचल अधिकारी
 सरैयाहाट

आज दिनांक 29/04/2023 को वन अधिकार समिति का बैठक
 राजेश उपनिरीक्षक तथा उपनिरीक्षक ठाकुर के अध्यक्षता में की गयी।
 निम्न सदस्यों ने भाग लिया एवं अपना हस्ताक्षर/सि. डि. डिय

ग्राम सभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर

कामदेव ठाकुर

1) रविंद्र ठाकुर

2) कामदेव ठाकुर

3) अर्जुन साह

4) देवेन्द्र ठाकुर

5) प्रताप ठाकुर

6) सुनील ठाकुर

7) राजकुमार मंडल

8) सचिन ठाकुर

9) दामोदर ठाकुर

10) कुमोद ठाकुर

11) शंकर साह

12) रंजीत ठाकुर

13) नरमल मंडल

14) श्रीवत्स ठाकुर

15) बालेश्वर ठाकुर

16) सुनील ठाकुर

17) समीर ठाकुर

18) T.P. मनीष देवी

19) T.P. सुकु देवी

20) T.P. सुशीला देवी

21) महेशी देवी

22) श्री जय ठाकुर

23) श्यामा देवी

24) सुनील देवी

25) अनिता देवी

26) T.P. विनीत देवी

27) समीर ठाकुर

प्रस्ताव - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मसौदा
 क्रमांक के पत्रांक 5081/उमै-कृक का दिनांक 17-12-2022 के
 दिनांक के अधिकार समिति का बैठक मीजा बिला
 में किया गया जिसमें वन अधिकार समिति द्वारा निर्णय
 सर्वसम्मति से लिया गया।

| नाम | पिता का नाम |
|--------------------|--------------------------|
| 1) कामेश्वर ठाकुर | कामेश्वर ठाकुर (अध्यापक) |
| 2) उपेन्द्र ठाकुर | सुतारु ठाकुर |
| 3) दिनेश ठाकुर | बैजनाथ ठाकुर (सचिव) |
| 4) अशोक ठाकुर | विश्वनाथ साहू |
| 5) प्रदीप ठाकुर | बैजनाथ ठाकुर |
| 6) रमेश ठाकुर | सुधीर ठाकुर |
| 7) सुनील ठाकुर | मीना ठाकुर |
| 8) शंकर साहू | कमला साहू |
| 9) कुमाँदु ठाकुर | सुधीर ठाकुर |
| 10) रामेश्वर ठाकुर | जानकी ठाकुर |
| 11) सचिन ठाकुर | जानकी ठाकुर |
| 12) राजकुमार मसाल | जानकी मसाल |
| 13) प्रदीप ठाकुर | प्राण ठाकुर |

प्रस्ताव - उपरोक्त अधिकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया
 कि श्री उपेन्द्र ठाकुर को समिति का अध्यक्ष एवं
 श्री प्रदीप ठाकुर को सचिव पद पर नियुक्त किया
 गया।

प्रस्ताव सी-2 - वन अधिकार समिति के तहत निर्णय लिया
 कि मीजा बिला न-21 के खाना सी-08 कागल
 प्रस्तावित रकम 0.1280 (दो) भूमि आवंटित उजा सी-
 निगम लिमिटेड द्वारा 132 हे.मी. विषय हेलडीए
 जलडीए संपरण लाईन निर्माण विमात्र को दिया
 जा सकता है।

अंत के अवधि महीने के अवधि समाप्त के साथ
समा की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ग्राम-सभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर

कामदेव ठाकुर

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : सिखंड कृषि संचरण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : गंगरा
3. ग्राम पंचायत : चरकापाथर
4. प्रखंड/अंचल : सुरैयाहाट
5. जिला : दुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

- (ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)
4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना : आरखंड बुर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 करोड़ रुपये हेतु संचरण लाइन निर्माण

अनुशासित

Sanil Kumar
Gupta

12/03/18

12/03/18

दावेदार (रो) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
अंचल अधिकारी
सुरैयाहाट, दुमका

(अध्यक्ष)
एन-अधिकार समिति

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम, 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : आरव्स वूजी सेचरॉ निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : गंगटा
3. ग्राम पंचायत : चरकापान्थर
4. प्रखंड/अंचल : परियाईर
5. जिला : पुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

नहीं

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

नहीं

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

नहीं

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

नहीं

7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : आरखंड कृषि संचरण विभाग लिमिटेड द्वारा 132 के.मी. विपथ हंसडीहा-असीडीहा संचरण लाइन निर्माण

आनुवंशिक

Suneel Kumar
Group
(अध्यक्ष)
वन अधिकार समिति

11/03/11

11/03/11

दावेदार (सी) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
अंचल अधिकारी
सुरैयाहाट, दुमका

- (ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, *नहीं*
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)
4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : *नहीं*
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : *नहीं*
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : *नहीं*
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

आरखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 क्वी.मी. द्विपथ ट्रेसडीए-असीडीए संचरण लाइन निर्माण

अनुशंसित

Sunil Kumar Gupta
(अध्यक्ष) का. शा. वि. कर. समिति

[Signature]
1703/12

[Signature]
र. क. वि.

[Signature]
अथल अधिकारी
सरैयाहाट, दुमका

दावेदार (री) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : सौरखंड इलाहाबाद संघर्ष निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : इंजिरा
3. ग्राम पंचायत : चरकापामर
4. प्रखंड/अंचल : सुरियाहाट
5. जिला : बुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-


1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

सौरखंड निगम

सौरखंड निगम

अंचल अधिकारी
सुरियाहाट

मीजा - गंगटा न०-३४
 स० सर्किल - सैरिमा
 अंचल - सैरिमाठ
 जिला - दुमका
 सर्वेक्ष १६ ईन्च = १मील



| मीजा | खाना न० | खाना च० | काग न० | कुल एकरा उ० - १०० - १०० | प्लाना बिगरकवा | किस्म |
|-------|---------|---------|--------|----------------------------|----------------|-----------|
| गंगटा | ३४ | २ | ४२ | ११-२० | ०.१६२५ - (है) | भाडी जंगल |
| गंगटा | ३४ | २ | ४६ | ०६-१५ | ०.३६२४ - (है) | भाडी जंगल |
| गंगटा | ३४ | २ | ६६ P.F | ४१-२० | ०.००२३ - (है) | भाडी जंगल |
| गंगटा | ३४ | ६ | ४० | ००-६२ | ०.०५३० - (है) | भाडी जंगल |
| गंगटा | ३४ | ६ | ४६ | ००-२६ | ०.०३३८ - (है) | भाडी जंगल |

महाराज,

भारतसंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड द्वारा १३२ कैं० भी डिपच इंसीडीए-
 जसीडीई संचरण लाईन निर्माण हेतु भूमि के लाल रेखा द्वारा अधिग्रहण है

उपरोक्त
 २०००

स० उ० नि०

स० अ० नि०

अंचल अधिकारी
 सैरिमाठ


मीजा - गंगटा नं-३४

सं सर्किल - सरैया

अंचल - सरैया

जिला - दुमका

स्कूल नं ६, ईन्च = १ मील



| मीजा | थाना नं | खाना नं | काग नं | कुल रकबा उ ए० - डि० | ब्रह्मविहारकवा | किस्म |
|-------|---------|---------|--------|------------------------|----------------|-----------|
| गंगटा | ३४ | २ | ४२ | ११-२० | ०-१६२५ - (है) | भारी जंगल |
| गंगटा | ३४ | २ | ४८ | ०६-१५ | ०-३६२४ - (है) | भारी जंगल |
| गंगटा | ३४ | २ | ६६ | ४१-५० | ०-००२३ - (है) | भारी जंगल |
| गंगटा | ३४ | ६ | ४० | ००-६२ | ०-०५३० - (है) | भारी जंगल |
| गंगटा | ३४ | ६ | ४६ | ००-२६ | ०-०३३८ - (है) | भारी जंगल |

महाराज,

भारत एजेंसी संचरण निगम लिमिटेड द्वारा १३२ के० भी डिपच एंक्विरी-
जसदीह संचरण लाईन निर्माण हेतु भूमि के आल शेरवा द्वारा उपरोक्त जमीन है


(Signature)
उपरोक्त

(Signature)
शरत उर मिठ

(Signature)
शरत उर मिठ

(Signature)
अंचल अधिकारी
सरैया

मीजा - गंगटा न०-३४
 संसर्कल - सीरिया
 अंचल - सीरिया
 जिला - दुमका
 स्कूल न० ६ इंच = १मील



| मीजा | खाना न० | खाना न० | दाग न० | कुल रकबा उ० ए० - डि० | प्रस्तावित रकबा | किस्म |
|-------|---------|---------|--------|-------------------------|-----------------|-----------|
| गंगटा | ३४ | २ | ४२ | ११-२० | ०-१६२५ - (है) | भारी जंगल |
| गंगटा | ३४ | २ | ४८ | ०६-१५ | ०-३६२४ - (है) | भारी जंगल |
| गंगटा | ३४ | २ | ६६ | ४१-२० | ०-००२३ - (है) | भारी जंगल |
| गंगटा | ३४ | ६ | ४० | ००-६२ | ०-०५३० - (है) | भारी जंगल |
| गंगटा | ३४ | ६ | ४६ | ००-२६ | ०-०३३८ - (है) | भारी जंगल |

महाराष्ट्र,

भारखंड ऊर्जा वंचाया निगम लिमिटेड द्वारा १३२ करोड रुपया बंधुषीठ-
 जषीषीठ वंचाया लाईन निर्माण हेतु भूमि का साल रेखा द्वारा खाना न० ३४

हाजीम
 २००७

राउप निदेशक

प्र० अं० मि०

अंचल आधिकारी
 सीरिया

मीला का नाम - गंगाल थाना नं. 34

आज दिनांक 29/4/2023 को वन अधिकार समिति का गठन एमएच उपनिरीक्षक एवं श्री सुनील कुमार गुप्ता के अध्यक्षता में की गयी। निम्न सदस्यों ने भाग लिया एवं हस्ताक्षर/सिनि किया

ग्राम-समा-अध्यक्ष का हस्ताक्षर

Sunil Kumar Gupta
29/04/23

Sunil Kumar Gupta

शुभे मंडल

गंगाल मंडल

पु मंडल

हराधन मंडल

निमल देवी

गंगी देवी

सुनीता देवी

नीलो देवी

अजय मंडल

Rohit Kumar

Rabi Kumar

गोपाल मंडल

प्रस्ताव - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त
 पुस्तक के पतांक 5081/जी. पुस्तक शिफ्ट 19-12-20
 निर्दिष्टानुसार वन अधिकार समिति का गठन होगा। जो
 नं. 34 में किया गया जिसमें वन अधिकार समिति द्वारा
 विनियमित कार्यवाही का चयन किया गया।

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम |
|---------|--------------------|-------------|
| 1 | सुरेश मंडल | — |
| 2 | भञ्ज मंडल | — |
| 3 | दुर्गा देवी | — |
| 4 | धनंजय मंडल | — |
| 5 | हराधन मंडल | — |
| 6 | सुनीता देवी | — |
| 7 | नरेश मंडल | — |
| 8 | गोपाल मंडल | — |
| 9 | निर्मला देवी | — |
| 10 | मनीष मंडल | — |
| 11 | दीपति कुमार | — |
| 12 | रवि कुमार | — |
| 13 | सुनीता देवी | — |
| 14 | पद्म मंडल | — |
| 15 | निखा देवी | — |
| 16 | सुनील कुमार गुप्ता | — |

प्रस्ताव सं-1 - वन अधिकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया
 कि श्री सुनील कुमार गुप्ता को समिति का अध्यक्ष एवं
 श्री भञ्ज मंडल को सचिव पद पर नियुक्त किया गया।

प्रस्ताव सं-2 - वन अधिकार समिति के द्वारा यह निर्णय लिया
 गया कि श्री सुनील कुमार गुप्ता को अध्यक्ष एवं श्री भञ्ज मंडल को
 सचिव पद पर नियुक्त किया गया।

प्रस्ताव - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त
 पुस्तक के पत्रांक 508/जी. पुस्तक चिह्नक 19-12-20
 निम्नानुसार जन अधिकार समिति का गठन होगा. संख्या
 नं. 34 से किया गया जिसमें जन अधिकार समिति द्वारा
 निम्नलिखित व्यक्तियों का चयन किया गया।

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम |
|---------|--------------------|---|
| 1 | सुरेश मंडल | |
| 2 | भजू मंडल | श. ठाकुर मंडल |
| 3 | पुष्पा देवी | स्व. जगद्वल मंडल (सचिव) |
| 4 | धनंजय मंडल | पति - भजू मंडल |
| 5 | हराधन मंडल | भजू मंडल |
| 6 | सुनीता देवी | स्व. विक्रम मंडल |
| 7 | नुरेश मंडल | पति - हराधन मंडल |
| 8 | गोपाल मंडल | स्व. ठाकुर मंडल |
| 9 | निर्मला देवी | स्व. जगन्नाथ मंडल |
| 10 | सनील मंडल | पति नुरेश मंडल |
| 11 | दीपति कुमार | सुरेश मंडल |
| 12 | रवि कुमार | धनंजय मंडल |
| 13 | सुनीता देवी | धनंजय मंडल |
| 14 | पद्म मंडल | पति - ठाकुर मंडल |
| 15 | निर्मला देवी | नुरेश मंडल |
| 16 | सुनील कुमार गुप्ता | पति गोपाल मंडल स्व. विप्रनाथ साह (अध्यक्ष) |

प्रस्ताव सं-1 - जन अधिकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया
 कि श्री सुरेश कुमार गुप्ता को समिति का अध्यक्ष एवं
 श्री भजू मंडल को सचिव पद पर नियुक्त किया गया।

प्रस्ताव सं-2 - जन अधिकार समिति के तहत निर्णय लिया गया
 कि मैना - गंगाला नं-34 के निम्नलिखित भूमि का स्व. देवी
 संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के.मी. विषय हेतु सीए
 जसी डीए संचरण लॉर्डन निर्माण विभाग को दिया जा
 सकता है।

| क्र. सं. | खाना सं. | वटा सं. | प्रमाणित रकम |
|----------|----------|---------|--------------|
| 1. | 05 | 42 | 0.1785 (₹०) |
| 2. | 05 | 49 | 0.3624 (₹०) |
| 3. | 05 | 66 | 0.0083 (₹०) |
| 4. | 06 | 40 | 0.0530 (₹०) |
| 5. | 06 | 47 | 0.0338 (₹०) |

गंत में अद्यतन महीने के अन्तर्गत खाना के साथ
 खाना की कार्रवाई समाप्त की गयी।

यम - संगी अद्यतन - सं-अध्य

Sumit Kumar Gupta
 29/04/23

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : झारखंड वन संरक्षण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : परकापाथर
3. ग्राम पंचायत : परकापाथर
4. प्रखंड/अंचल : सरेआएए
5. जिला : पुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) नहीं
यदि कोई हो :
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम, 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (सों) का/के नाम : आरखंड वन संरक्षण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : परकाणथर
3. ग्राम पंचायत : परकाणथर
4. प्रखंड/अंचल : सरेगाहट
5. जिला : पुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : आरखंड इस्ती संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 कं० अदि द्विपथ हंसडीहा - असीडीह संचरण लार्डन निर्माण

अनुबंधित

प्रदीप कुं० सिंह
(अध्यक्ष)
वन-शासिका (संवि.)

1703/11

17-11-11

दावेदार (रों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
अंचल अधिकारी
सरैयाहाट, कुमका

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : सारखंड वन संरक्षण मिशन लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : परकापाथर
3. ग्राम पंचायत : परकापाथर
4. प्रखंड/अंचल : सरैयाथर
5. जिला : बुधका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-


1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) नहीं
यदि कोई हो :
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

- (ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)
4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना : आरखंड वन्य संरक्षण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के.पी. विपथ हस्तडीहा-जसीडीह संरक्षण आर्इन निर्माण

अनुशंसित

प्रदीप कुं सिंह
(अध्यक्ष)
वन-अधिकार समिति


१७/३/१९


१७/३/१९


अंचल अधिकारी
सुरैयाहाट, हुमका

दावेदार (सी) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : सारखंड वन संरक्षण निगम लिमिटेड
- क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
- ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : परकापार
3. ग्राम पंचायत : परकापार
4. प्रखंड/अंचल : सरैयाहट
5. जिला : पुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

उपमंडल अधिकारी
सरैयाहट

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)


7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)


8. अन्य कोई सूचना : स्मारक संरक्षण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के.एन. विपथ हंसडीहा-जसीडीहा संचरण लाइन निर्माण

आदेशित

प्रदीप कुं. सिंह
(अध्यक्ष)
वन-आयोजना समिति



17/03/11




अंचल अधिकारी
सरियालट, दुमका

दावेदार (री) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मीजा - चरकापाधर नं-28
 सठ सर्किल - सैया
 अंचल - सैयागाव
 जिला - ठुमका
 स्केल १६ इंच = १ मील




| मीजा | थाना नं | खारा नं | दाग नं | कुल रकम | प्रस्तावित रकम | किस्म जमीन |
|----------|---------|---------|--------|---------|----------------|------------|
| चरकापाधर | 28 | 32 | १ PF | ३२.१२ | ०.४५२६-हीठ | पंगल माडी |
| चरकापाधर | 28 | 32 | ३ PF | ११.६० | ०.५५६६-हीठ | पंगल माडी |

महाराज,

कारखंड उजी विंगल लिमिटेड द्वारा १३२ ई० भी० डिपच हेलपीठ-जखीरिठ अंचल
 कार्डिन निर्माण हेतु भूमि को लाल रेखा द्वारा उकीया जमा है


ठुमका
 २००७


 राठ डठ सिठ


 राठ डठ सिठ


 उंचल डायिरी
 सैयागाव

मौजा - चरकापाधर नं-28
 सठ सर्किल - सीता
 अंचल - सीयागढ
 जिला - हुमका
 स्केल १६ इंच = १ मील



| मौजा | थाना नं | खाला नं | दांग नं | कुल रकबा | प्रस्तावित रकबा | किस्म जमीन |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----------------|------------|
| चरकापाधर | 28 | 32 | १ | 28.98 | 0.8226-है | बंगाल माडी |
| चरकापाधर | 28 | 32 | ३ | 99.60 | 0.2266-है | बंगाल माडी |

महाशय

फास्ट ट्रैक डेवेलपमेंट लिमिटेड द्वारा १३२ केंमी डिप्लॉयमेंट - गडीडी क्षेत्र
 लाईन निर्माण हेतु भूमि को खाल रेखा द्वारा जमीन जमा है

कुल जमीन
 १०००


(Signature)

सठ डंग निठ

सठ डंग निठ
 सठ डंग निठ

अंचल आधिकारी
 सीयागढ

मीजा - चरकापाथर नं-28
 सठ सर्किल - सीता
 अंचल - सरैयागढ
 जिला - दुमका
 स्केल १६ इंच = १ मील



| मीजा | खाना नं | खारा नं | दाग नं | कुल रकम | प्रस्तावित रकम | किस्म जमीन |
|----------|---------|---------|--------|---------|----------------|------------|
| चरकापाथर | 28 | 32 | 9 | 22.98 | 0.8226-हैठ | बांगल मास |
| चरकापाथर | 28 | 32 | 3 | 99.60 | 0.2266-हैठ | बांगल मास |

महाराज,

आरखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा 922 डिपच हेमरीट - जलीवीट संचरण
 लाइन निर्माण हेतु भूमि को लाल रेषा द्वारा उद्घातित जमा है

उपरोक्त
 निगम


 सठ उठ निठ


 सठ उठ निठ


 अंचल अधिकारी
 सरैयागढ

राजा देवा
 पमपम हरिजन

मौजा का नाम - चरकापाथर शाना व-24

आज दिनांक 23/4/2023 को जन अधिकार समिति का गठन रामलक्ष्मी उपनिवेश एवं श्री प्रदीप कुमार सिंह के अध्यक्षता में की गई जिस सचरों ने भाग लिया एवं हस्ताक्षर/सि.नि किया

ग्राम-समाज अध्यक्ष का हस्ताक्षर

प्रदीप कुंठ सिंह

प्रदीप कुंठ सिंह

मुख्यालय

मुकेश दास

श्रीपाल महरा

मोहन सिंह

राहुल सिंह

उवाही

लक्ष्मी देवी

नेमानी मदन

पिनोई महता

मोहन कुमार

मनोज शर्मा

केलधु कापरी

सिद्धेश्वर देवी

बालराम यादव

कुन्वी देवी

बिठ निठ बंही सिंह

श्रीभू महता

उपेन्द्र मंडल

पवन कापरी

रघुनाथ यादव

बालराम सिंह

प्योई देवी

दिनेश सिंह

श्रीभू सिंह

नागेश्वरी देवी

बिठ निठ लक्ष्मी देवी

बिठ निठ मंछीया देवी

बिठ निठ श्यामि देवी

श्री रवीश देवी

श्री देवी

रानी देवी

पमपम हरिजन

पमपम

प्रस्ताव 1- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संकेत
 दुमका के पतांक 5031/गौ. दुमका दिनांक 17-12-2022 के
 निदेशानुसार वन अधिकार समिति का गठन मिला-चरकापार
 न-24 में किया गया जिले वन अधिकार समिति द्वारा
 निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया।

| नाम | पिता का नाम |
|----------------------|--------------------------|
| 1. शंभु महारा | स्व. कल्याणचंद महारा |
| 2. प्रदीप कुमार सिंह | स्व. देवि सिंह (अध्यक्ष) |
| 3. लक्ष्मण सिंह | स्व. चौकी सिंह (सचिव) |
| 4. मनी सिंह | स्व. महावीर सिंह |
| 5. गीणाम महारा | स्व. महादेव महारा |
| 6. रंजु सिंह | स्व. सुकल सिंह |
| 7. महावीर देवी | पति- लक्ष्मण सिंह |
| 8. मोहन सिंह | मनी सिंह |
| 9. सिरिया देवी | पति- ल प्रकाश सिंह |
| 10. चंद्रदीप सिंह | स्व. देवीरथ सिंह |
| 11. जमी सिंह | स्व. रंजु सिंह |
| 12. रणवीर सिंह | स्व. लक्ष्मण सिंह |
| 13. किशोर सिंह | स्व. जीव सिंह |
| 14. विनोद सिंह | स्व. गौला सिंह |

प्रस्ताव सं-1- वन अधिकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया
 कि श्री प्रदीप कुमार सिंह को समिति का अध्यक्ष एवं
 श्री लक्ष्मण सिंह को सचिव पद पर नियुक्त किया गया।

प्रस्ताव सं-2- वन अधिकार समिति के तहत निर्णय लिया गया कि
 मिला-चरकापार न-24 के निर्माणाधीन भूमि आरखंड के
 संघर्ष निगम लिमिटेड द्वारा 132 हे.मी. द्विपथ हलदी।
 अलीडीह संघर्ष निगम निर्माण विभाग को दिया जा
 सकता है।

| क्र० | खाना सं | दाग सं | पुनर्निर्मित खाना |
|------|---------|--------|-------------------|
| 1 | 32 | 01 | 0.4527 (हे) |
| 2 | 32 | 02 | 0.0297 (हे) |
| 3 | 32 | 03 | 0.5579 (हे) |

अंत में अखिल मजदूर के अन्तर्गत काम के समाप्त
समाप्त की कार्यवाही समाप्त की गयी।

आम - समाप्त अखिल का हस्तगत
प्रतीप कृष्ण

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : झारखंड वन संचरण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : बुढी झिलवा
3. ग्राम पंचायत : परकापांडर
4. प्रखंड/अंचल : सैराहाट
5. जिला : धुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

राजस्व उपनिवेशक

प्रठ प्रठ प्रठ प्रठ

अधिकाधिकार
सैराहाट

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

नहीं

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

नहीं

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

नहीं

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)


नहीं


7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : आरखंड ठुर्जा संचरण विभाग लिमिटेड द्वारा 132 के द्विपक्ष ईसटीए - जसीडीए संचरण लार्वन निर्माण

आनुवंशिक

सुदेशा भंडाल
(अध्यक्ष)
वन-अधिकार समिति


27/03/21



अंचल अधिकारी
सरैयाहाट, दुमका

दावेदार (रों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : साइबंद बर्जा संचरण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : बुडी क्षिनुवा
3. ग्राम पंचायत : चरकापाथर
4. प्रखंड/अंचल : सरैयाथर
5. जिला : पुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

राजस्व उपनिरीक्षक

प्रभु शंकर मिश्र

अध्यक्ष अधिकारी
सरैयाथर

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

नहीं

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

नहीं

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

नहीं

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

नहीं

7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : आरखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 क्वी. विपथ टैसडीए-जेसीडीए संचरण लाईन मिमीण

अनुशंख

सुरेशा निशु
(अध्यक्ष)
पत-अधिकार समिति

अनुशंख
1/10/17

अनुशंख

अंचल अधिकारी
सरैयाहाट, दुमक

दावेदार (रो) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : हारखंड वृजा संघरठा निगम लिमिटेड
- क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
- ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : बुडी झिलुवा
3. ग्राम पंचायत : परकापाथर
4. प्रखंड/अंचल : सरैयाथर
5. जिला : बुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार :

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)

यदि कोई हो : नहीं

(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :-

नहीं

राजस्व उपनिरीक्षक

प्रठ अंचल निर

अंचल अधिकारी
सरैयाथर

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, नहीं (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : नहीं (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : नहीं (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : नहीं (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : आरखंड रूपा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के.सी. विपथ एसडीए-असीडीए संचरण लाइन निर्माण

अनुशंकर

श्री. नंदन
(अध्यक्ष)
वन अधिकार समिति

अनुशंकर


अनुशंकर

अनुशंकर

अंचल अधिकार
सरियाहाट, दुमका

दावेदार (रो) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मीजा - बुढीकिलडा न०-२६
 स० सर्कल - सरैया
 अंचल - सरैयाहार
 जिला - दुसका
 रुकेल १६ इंच = १ गील



| मीजा | थाना न० | खाना न० | दागा न० | कुल रकबा उ ल - इ | प्रस्तावित रकबा | किस्म |
|-----------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|-------------|
| बुढीकिलडा | २६ | १२ | ४२६ | ०६-१४ | ०.२३६५ - (ई०) | ग्राही जंगल |

सहायक,

मरखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड द्वारा १३२ के०मी० द्विपक्ष इंसोला-
 जखीडीह वंचरण लाईन निर्माण हेतु भूमि का माफ रकबा द्वारा उद्घोषणा जमा है

[Signature]
 27/08/2020

[Signature]

राजस्व उपनिरीक्षक


[Signature]

स० अंचल अधिकारी

[Signature]

अंचल अधिकारी
सरैयाहार

मीजा - बुढीफिलसा न०-२६
 स० सर्कल - सरैया
 अंचल - सरैयाहार
 जिला - दुमका
 स्केल १६ इंच = १ मीटर




| मीजा | थाना न० | खारा न० | दागा न० | कुल रकबा घ० - डि० | प्रस्तावित रकबा | फिस्म |
|-----------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------|-----------|
| बुढीफिलसा | २६ | १२ | ४२६ | ०६-१४ | ०.२२६५ - (६०) | खासी जंगल |

महशम,

डायरेक्ट डी संचारण निगम लिमिटेड द्वारा १३२ क० मी० डिपक इंसीटी
 असीटी संचारण लाइन निर्माण हेतु भूमि को लाल रंग द्वारा डमीन किया है


उपरीपत्र
 20/01/20


 राजेश्वर उपरीपत्रक


 प्र० अ० मि०


 अंचल आधिकारी
 सरैयाहार

- मीजा - कुर्दिफिलसा नं-26
 सठ सर्किल - सरैया
 अंचल - सरैयाहट
 जिला - दुमका
 स्किल 96 इंच = 9 गीब



| मीजा | थाना नं | खाना नं | दागा नं | कुल रकबा एक-डि 06-98 | प्रस्तावित रकबा | किस्म |
|-------------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------|-----------|
| कुर्दिफिलसा | 26 | 92 | 846 | | 0.2262-(है) | काडी मंगल |

महाराज,

भास्वंड उर्जा संचायन निगम लिमिटेड द्वारा 922 कंभी द्विपक्षबंधीय-
 जखीडीह संचालन लाइन निर्माण हेतु भूमि को लाल रेषा द्वारा उर्जाया गन्ना है

उपरोक्त
 27/07/20

राजेश्वर उप निदेशक

ग्राम विकास 29/4/2023 को जन अधिकार समिति का गठन राजेश कुमारी एवं श्रीमती चिंता देवी के अध्यक्षता में किया गया। निम्न सदस्यों ने भाग लिया एवं हस्ताक्षर/दि. नि. किया।

ग्राम-समा मध्यम का हस्ताक्षर चिन्ता देवी

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) लक्ष्मी मंडल | 20) उम कुमारी मंडल |
| 2) नरेन मंडल | 21) जगदीश मंडल |
| 3) शशि मंडल | 22) बली देवी |
| 4) विप विठ्ठल मंडल | 23) सुनील देवी |
| 5) | 24) प्रदीप मंडल |
| 6) विप विठ्ठल मंडल | दीपक मंडल |
| 7) शंभु मंडल | सुभा मंडल |
| 8) श्री मंडल | सुभा मंडल |
| 9) नकुल मंडल | विपु मंडल |
| 10) तुलसी मंडल | नारायण मंडल |
| 11) विपु मंडल | उपमंडल |
| 12) विपु मंडल | चामर मंडल |
| 13) विपु मंडल | रमेश कुमार |
| 14) सुभा मंडल | विनीत मंडल |
| 15) सुभा मंडल | पुनम सुभा |
| 16) शक्ति मंडल | विपु मंडल |
| 17) विपु मंडल | पतरु मंडल |
| 18) सुभा मंडल | गोपाल मंडल |
| 19) सुभा मंडल | राजेश |
| | विपु |
| | अर्जुन मंडल |
| | अरवि मंडल |
| | प्रकाश मंडल |

प्रस्ताव : वर्षसमाप्त से निर्णय लिया गया कि अनुसूचित मजदूरों के पत्रांक 5081/वॉ. कुका दिनांक 17-12-2022 के निर्देशानुसार जन अधिकार समिति को गठन करना - बुधवार 1-25 में किया गया जिसमें जन अधिकार समिति द्वारा निर्णय जगहों का चयन किया गया।

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम |
|---------|-------------|----------------------------|
| 1 | नरेश मंडल | स्व. लालू मंडल |
| 2 | वैष्णव मंडल | स्व. कलमचंद्र मंडल (अपवाक) |
| 3 | ब्रजेश मंडल | स्व. महादेव मंडल |
| 4 | प्रकाश मंडल | स्व. प्रियंका मंडल |
| 5 | सुरेश मंडल | स्व. लालू मंडल (अपवाक) |
| 6 | नकुल मंडल | श्रीमती श्याम मंडल |
| 7 | शोभा मंडल | स्व. कलमचंद्र मंडल |
| 8 | शंभू मंडल | स्व. हरि मंडल |
| 9 | अनिल मंडल | स्व. जोगेश्वर मंडल |
| 10 | संजय मंडल | स्व. जोगेश्वर मंडल |
| 11 | पूजा मंडल | स्व. आनंद मंडल |
| 12 | सुभाष मंडल | स्व. कर्तिक मंडल |
| 13 | वृन्दा मंडल | श्री किरण मंडल |
| 14 | सुवीन मंडल | स्व. नमकचंद मंडल |

प्रस्ताव सं. 1 : जन अधिकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री सुरेश मंडल को समिति का अध्यक्ष एवं श्री वैष्णव मंडल को सचिव पद पर नियुक्त किया गया।

प्रस्ताव सं. 2 : जन अधिकार समिति के तहत निर्णय लिया गया कि शोभा - बुधवार 1-25 के खाता सं. 12 पत्रांक 4 प्रस्तावित रकम 0.2375 (दो) रुपय आरंभ करी संचालन निगम लिमिटेड द्वारा 132 कैं.मी. विपथ इंस्टीट - अलीशिर संचालन लाइन निर्माण विभाग को किया जा सकता है।

भारत में अखिल भारतीय के धन्यवाद शोषण के साथ
समाज की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ग्राम-समाज अखिल का प्लान

सुरेश मेहर

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : आरखंड बुर्जा संचरण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : पथरिया
3. ग्राम पंचायत : चरकापथर
4. प्रखंड/अंचल : सुरेगढाट
5. जिला : दुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) नहीं
यदि कोई हो :
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

राठ ड० १९०


राठ ड० १९०


अंचल डायरेक्टर
सुरेगढाट


- (ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें) नहीं
4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें) नहीं
5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें) नहीं
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें) नहीं
7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : स्टाफ्फेड डब्ली संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 रु. प्रति द्विपथ इंस्टीला-बरीडी संचरण वर्कस निर्माण

अनुशासन


 अनुगल किशोर मंडल
 (अध्यक्ष)
 जन-अधिकार समिति


 27/03/18


 27-3-18
 अंचल अधिकारी
 सरियाहाट, पुमका

दावेदार (सों) के
 हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (सौ) का/के नाम : सूर्यवंद कर्मा संचरण निगम लिमिटेड
- क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
- ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : पथरिया
3. ग्राम पंचायत : चरकापथर
4. प्रखंड/अंचल : सूर्यवंद
5. जिला : गुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलशाय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

राठ उठ 170

राठ उठ 170

अंचल अंचल अधिकारी
चरकापथर

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, नहीं (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : नहीं (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : नहीं (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)


6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : नहीं (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)


7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : आरखंड राज. संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 कि०मी० विपथ हसडीहा-असीडीहा संचरण लाइन निर्माण

आनुवंशिक

कुमश्रीपराज
क/पा
जुगत किशोर मंडल
(अध्यक्ष)
पारम्परिक अधिकार समिति


17/3/17


17/3/17


अंचल अधिकारी
सुरैयाहाट, हुमना

दावेदार (री) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : सिखंड वन संरक्षण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : पथरिया
3. ग्राम पंचायत : चरकापाथर
4. प्रखंड/अंचल : सरियाहाट
5. जिला : मुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)
यदि कोई हो : नहीं
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

रा० छ० १९०

रा० छ० १९०

अचल अंचल अधिकारी
वन संरक्षण

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

नहीं

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

नहीं

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

नहीं

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)


नहीं

7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : आर.एस. वृत्ति संचरण निगम लिमिटेड धारा 132 के अन्तर्गत विपथ एसडीए-असीडीए संचरण लार्डन निम्नी

डा. सुशंकर

कुमारी जयशंकर
जुगलकिशोर शंकर
(अध्यक्ष)
वन-अधिकार समिति


17/3/19





अंचल अधिकारी
सरैयाहाट, दुमका

दावेदार (सों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मॉड - पथरिया नं-20
 सब सर्किल - सरैया
 अंचल - सरैयाहाट
 जिला - दुमका
 स्केल १:६ इंच = १ मील

8




| मौजा | खाना नं | खाना नं | दाग नं | कुल रकबा एक - डिग | प्रस्तावित रकबा | किस्म जमीन |
|--------|---------|---------|--------------|----------------------|-----------------|------------|
| पथरिया | 20 | 95 | 963 P.P.F | 09-65 | 0.024056 | राखा अंगल |
| पथरिया | 20 | 95 | 26C P.P.F | 09-22 | 0.92398 | राखा अंगल |
| पथरिया | 20 | 95 | 26E P.P.F | 09-05 | 0.9256 | राखा अंगल |

महाराष्ट्र

भायर्संड कर्जा संघारण विभाग लिमिटेड द्वारा 932 करोड रुपय हंसडीहा-
 जसीडीह संघारण लाइन निर्माण हेतु भूमि को काल रंगा द्वारा इकोना गया है


कुल विभाग
 20/07


 राठ डठ किठ


 प्रठ डठ किठ


 अंचल अधिकारी
 सरैयाहाट

मीठा - पथरिया नं-20
 सठ सर्किट - सरैया
 अंचल - सरैयाहाट
 जिला - दुमका
 स्केल १६ इंच = १ मील



| मीठा | आना नं | खाना नं | काग नं | कुल रकवा एक - डिग | प्रस्तावित रकवा | किस्म जमीन |
|--------|--------|---------|--------|----------------------|-----------------|------------|
| पथरिया | 20 | १५ | १६३ | ०१-६५ | ०.०२६०५६ | राखा जंगल |
| पथरिया | 20 | १५ | २६२ | ०१-२२ | ०.१२३१४ | राखा जंगल |
| पथरिया | 20 | १५ | २६६ | ०१-०५ | ०.१५५६ | राखा जंगल |

महाराज,

भारतखंड ऊजा संघारण निगम लिमिटेड द्वारा १३२ हे०मी० डिपच हंडेरीण
 असीबिह संघारण बार्नि निर्माण हेतु भूमि के लाल रेखा द्वारा उमीना काल है


[Signature]
 २०१५

[Signature]
 राठ उठ मिठ

[Signature]
 प्रठ अठ मिठ

अंचल अधिकारी
 सरैयाहाट

मींग - पथरिया नं-20
 सठ सर्किट - सरैया
 अंचल - सरैयाहार
 जिला - दुमका
 स्केल १ इंच = १ मील



| मीना | थाना नं | खाना नं | दाग नं | कुल रकवा ए० - डि० | प्रकारिक रकवा | किरम जमीन |
|--------|---------|---------|--------|----------------------|---------------|-----------|
| पथरिया | 20 | १५ | १६३ | ०१-६५ | ०.०२६०५६ | शाखा अंगल |
| पथरिया | 20 | १५ | २६८ | ०१-८२ | ०.१८३१४ | शाखा अंगल |
| पथरिया | 20 | १५ | २६६ | ०१-०५ | ०.१५५६ | शाखा अंगल |

महाराज,

काठखंड ऊर्जा संचरण विभाग लिमिटेड द्वारा १३२ क०भी० डिपक बंसीवा
 जलडीह संचरण लाइन निर्माण हेतु भूमि के साथ सेवा द्वारा इजाजत प्राप्त है

दुमका/१३४
 १३/०७/१७


 राठ उठ सिठ


 राठ अंठ सिठ


 अंचल अधिकारी
 सरैयाहार

आज दिनांक 29/4/2023 को वन अधिकार समिति का 30वां बैठक उपनिरीक्षक तथा श्री युगल किशोर मंडल के अध्यक्षता में की गयी। निम्न सदस्यों ने भाग लिया एवं हस्ताक्षर/दिनि किया

नाम-वर्ग अध्यक्ष का हस्ताक्षर

युगल किशोर मंडल

1 युगल किशोर मंडल

2 सुरेश मंडल

3 अमीरका सिंह

4 मनोहर सिंह

5 अरविन्द दास

6 श्याम लाल मंडल

7 काटु मंडल

8 राजेश मंडल

9 सपूरा कुमार

10 बलाही देवी

11 देवकी देवी

12 शीमा देवी

13 लोदी सिंह

14 कपील देव मंडल

15 ब्रदीना देवी

16 गौतम कुमार सिंह

17 रूजित कु. मंडल

18 सुवास दास

19 सुनास देवी

20 कल्पना देवी

21 अश्विन्द देवी

22 जालजी देवी

23 नरेका मंडल

24 लज्जा देवी

25 जानकी दास

26 पबलु दास

27 कविता कुमारी

28 शीबु मंडल

प्रस्ताव - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संवेदन युक्त
 के पत्रांक 5031/2022 - दुधका लिंक 17-12-2022 के निर्देशानुसार
 वन अधिकार समिति का गठन पैरा-पब्लिश न-20 में किया
 गया जिसमें वन अधिकार समिति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों
 का चयन किया गया।

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम |
|---------|------------------|----------------------------|
| 1 | जुगल किशोर मंडल | इन्द्रप्रिय मंडल (अध्यक्ष) |
| 2 | सुरेश मंडल | आशीष मंडल |
| 3 | कपिलदेव मंडल | इन्द्रप्रिय मंडल |
| 4 | अशोक सिंह | बालदेव सिंह |
| 5 | मनोहर सिंह | श. पितामह सिंह |
| 6 | दीपक सिंह | श. पितामह सिंह |
| 7 | अरविंद दास | मधुदास दास |
| 8 | प्रमोदमण्डल मंडल | अशोक मंडल |
| 9 | काजू मंडल | लूटरी मंडल |
| 10 | रमेश मंडल | लूटरी मंडल |
| 11 | रमेश कुमार | आशोक प्र. 1469 (सचिव) |
| 12 | विमला देवी | श. आशोक प्र. 1469 |
| 13 | दीपिका देवी | श. रमेश कु. 1469 |
| 14 | दीपिका देवी | श. अशोक कुमार |

प्रस्ताव सी-1 - वन अधिकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया
 कि श्री जुगल किशोर मंडल को समिति का अध्यक्ष
 एवं श्री रमेश कुमार को सचिव पद पर नियुक्त किया

प्रस्ताव सी-2 - वन अधिकार समिति के तहत निर्णय लिया गया
 कि सिद्धा-पब्लिश न-20 के निम्नलिखित भूमि आवक
 वही संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 हेक्टेयर विपक्ष
 एसडीए - जलडीए संचरण लाइन निर्माण विभाग को दिया
 जा सकता है।

| क्र.सं. | खाला स. | दाग स. | प्रस्तावित रकम |
|---------|---------|--------|----------------|
| 1 | 15 | 163 | 0.0291 (है.) |
| 2 | 15 | 278 | 0.1881 (है.) |
| 3 | 15 | 276 | 0.1557 (है.) |

अंत की अध्यक्ष मंडल के अध्यक्षता के साथ समा
की कार्यवाही समाप्त की गयी।

शाम-समा अध्यक्ष का पद

गुणवत्केशोर मंडल

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : आरखंड रूरी कंचरा निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : पिण्डरा
3. ग्राम पंचायत : चरकापारा
4. प्रखंड/अंचल : सरयहाट
5. जिला : पुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) नहीं
यदि कोई हो :
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : आरजंड राजा संचरण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : पिठरा
3. ग्राम पंचायत : परकापथर
4. प्रखंड/अंचल : अरियाल
5. जिला : पुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- नहीं
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- नहीं
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) नहीं
यदि कोई हो :
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- नहीं

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

नहीं

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

नहीं

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

नहीं

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

नहीं

7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : स्मार्टग्रिड रूरी संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 क्वी. मी. द्विपथ ट्रांसमिशन - जलडीडीए संचरण लाइन निर्माण

अंगूठी

मनोज कुमार झा

(अध्यक्ष)

राज्य आयोग

राज्य आयोग

21.3.19

21.3.19

अध्यक्ष आयोग
सरैयाहाट, दुमका

दावेदार (सो) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निःशुल्क

तृतीय प्रति : अनुमंडल स्तरीय समिति के लिए

क्र.सं. : दिसम्बर 2020 /

उपाबंध-1 सामुदायिक अधिकार दावा-प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप 'ख'

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा-प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

(नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखिये)

अधिनियम 2006 एवं संसोधित नियम 2012

1. दावेदार (रों) का/के नाम : आर्यवंत इजी संचरण निगम लिमिटेड
क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
ख. ओटीएफडी (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम : पिठौरा
3. ग्राम पंचायत : परकापार
4. प्रखंड/अंचल : सरैयाहाट
5. जिला : पुमका

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :- जहाँ
अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- जहाँ
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार :
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) जहाँ
यदि कोई हो :
(ख) चराने हेतु, यदि कोई हो :- जहाँ

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक घुमन्तु और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

नहीं

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदि जनजाति) व कृषि, पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

नहीं

5. जैव-विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

नहीं

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

नहीं

7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : आरखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के.वी. विद्युत ट्रांसमिशन-जसीडीह संचरण लाइन निर्माण

अनुशंसित

मनोज कुमार शर्मा
(सहयंत्र) कुलसचिव
पंच-अधिकार समिति


21-3-11

21-3-11

अचल अधिकारी
सरैयाहाट, दुमका

दावेदार (सों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भौजा - पिंडरा नं- 38
 सठ सर्किल - ककनी
 अंचल - सरैयाहाट
 जिला - दुमका
 स्कैल - 96 ईन्च = 9 मील



| मीना | थाना नं | खाला नं | काग नं | कुल रकवा | प्रस्तावित रकवा | किस्म जमीन |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 38 पिंडरा | 38 | 38 | 688 | 93.52 | 0.552 (है०) | खेती/गा. जमीन |

महाराज,

कारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 932 फीट डिपथ हंडलीहा-जसीदीह
 संचरण लाईन निर्माण हेतु भूमि को खाल रेखा द्वारा उन्नाया जाना है।


[Signature]
 [Name]

[Signature]
 सठ उठ मिठ

[Signature]
 प्रठ अठ मिठ

[Signature]
 अंचल आधिकारी
 सरैयाहाट

गाँव - पिंडरा नं- 38
 सठ सर्किल - ककनी
 अंचल - सरैयाहाट
 जिला - दुमका
 स्केल - १६ इंच = १ मील



| गाँव | थाना नं | खाल नं | दाग नं | कुल रकबा | प्रस्तावित रकबा | किस्म जमीन |
|--------------|---------|--------|--------|----------|-----------------|------------|
| 38 पिंडरा | 38 | 38 | 688 | १३.४२ | ०.५५८ (है०) | खाल जमीन |

महाशत्रु,
 भारखंड कर्जा (अंचल) विभाग लिमिटेड द्वारा १३२ हे० की द्विपक्ष हंडसीट-
 जमीनी (अंचल) लार्ने हेरु शमि को खाल रेखा द्वारा इजाजा कला है।

[Signature]
 [Date]


[Signature]
 सठ डठ मिठ

[Signature]
 सठ अंठ मिठ

[Signature]
 अंचल अधिकारी
 सरैयाहाट

भाज दिनांक 29/4/2023 को वन अधिकार समिति का गठन राजस्व उपनिरीक्षक तथा श्री मनेज कुमार मांझी के अध्यक्षता में की गयी। निम्न सदस्यों ने भाग लिया एवं हस्ताक्षर/सिग्नि किया

ग्राम सेवा बोर्ड का हस्ताक्षर

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | वसुदेव कुमार धिरठा माम | मनोज कुमार मांझी |
| 2 | श्री नरेंद्र श जगन्नाथ क | 16) विवेक मांझी |
| 3 | सुंदरी नमंझी | 17) सरिता देवी |
| 4 | शजेश मांझी | 18) कलिका देवी |
| | | 19) सुपरा कुमर यादव |
| | | 20) मनुज मांझी |
| 5 | मंजी शंभरी | 21)  शंका देवी |
| | | 22) नारायण शंभर |
| 6 | चैतन्य शंभर | 23) पद्म शंभर |
| 7 | बिष्णु मांझी | 24) विवेक सिंह |
| 8 | उद्योक्त मांझी | 25) उद्योक्त महतो |
| | | 26)  जीत शंभर |
| 9 | शशिबत शंभर | 27)  शंभर देवी |
| 10 | उद्योक्त कुंज यादव | 28)  शंभर देवी |
| 12 | महादेव महतो | 29) देवकी देवी |
| 13 | विवेक महतो | 30) नीलम देवी |
| 14 | विष्णु महतो | 31) लक्ष्मी देवी |
| 15 | रुदी महतो | 32) रुपा देवी |
| | | 33) सोनी देवी |

प्रस्ताव 1 - सर्वसम्मति से निर्वाचन किया गया कि उपरोक्त सदस्यों का
 क्र. क्रमांक 5031/गौ. द्वारा दिनांक 19-12-2022 के निर्वाचन
 वन अधिकार समिति का गठन मौजा विंडर न. 34 के क्षेत्र
 गया जिले में वन अधिकार समिति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों का
 चयन किया गया।

| क्र. क्रमांक | नाम | चयन का क्रम |
|--------------|------------------|------------------------|
| 1 | रामेश्वर कुमार | शासक प्रदायक (अध्यक्ष) |
| 2 | मनोज कुमार मांझी | स्व. कमल मांझी (सचिव) |
| 3 | पती महारा | स्व. तपसी महारा |
| 4 | सुदीप मांझी | स्व. किशन मांझी |
| 5 | महादेव महारा | स्व. राजेश्वर महारा |
| 6 | सुभाकर सिंह | स्व. नन्दकिशोर सिंह |
| 7 | चैतन्य सिंह | स्व. ब्रह्मदेव सिंह |
| 8 | कामेश्वर मांझी | स्व. दीपक मांझी |
| 9 | शासक प्रदायक | स्व. दीपेश्वर मांझी |
| 10 | राजेश मांझी | मनोज कुमार मांझी |
| 11 | सुनील सिंह | स्व. नन्दकिशोर सिंह |
| 12 | सुभाष राय | सुभाष राय |
| 13 | विक्रम महारा | महादेव महारा |
| 14 | रमेश महारा | स्व. जे.के. महारा |

प्रस्ताव से - 1 - वन अधिकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया
 कि श्री रामेश्वर कुमार को समिति का अध्यक्ष एवं
 श्री मनोज कुमार मांझी को सचिव पद पर नियुक्त किया।

प्रस्ताव से - 2 - वन अधिकार समिति के तहत निर्णय लिया गया कि
 मौजा विंडर नं. 34 का नं. 644 एका - 0.558 हे.
 सचि. आरखंड जंगल संरक्षण निगम लिमिटेड द्वारा 182 कै.मी.
 द्विपथ हेस्टिया - असीविह संरक्षण लाइन निर्माण विभाग को
 दिया जा सकता है।

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद व्यक्त कर
 समिति की कार्यवाही समाप्त की गयी।

शाम - वन अधिकार का एका
 शासक प्रदायक